नये अधिनियमों का पुलिसकर्मियों को दिया प्रशिक्षण, ली परीक्षा

नये अधिनियमों के सन्दर्भ में प्रशिक्षण प्राप्त करते पुलिस कर्मी ।

संदेश वाहक न्यूज

- **पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में कराई प्रशिक्षण कार्यशाला**

श्रावस्ती। भारत सरकार द्वारा पारित किये गये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई 2024 से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत लागू किया जाना है। जिसके संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमे एसपीओ अवधेश गुप्ता, पीओ विजय पाल व नीरज पांडेय ने तीन नए अधिनियमों के संबंध में समस्त थाना प्रभारियों व थानों पर नियुक्त मोहर्रिर तथा अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालयों में नियुक्त 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा नए अधिनियमों के केंद्र में दण्ड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता, तकनीक का समावेश तथा नये प्रावधानों को रेखांकित किया गया। प्रशिक्षण के बाद नए कानून से संबंधित कर्मचारियों की परीक्षा भी कराई गई।

डीएम ने लिया सौन्दर्यीकरण कार्य का जायजा

श्रावस्ती। डीएम कृतिका शर्मा ने नगर पालिका परिषद भिनगा का भ्रमण कर जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने दहाना स्थित पटेल तिराहे पर कराये जा रहे सौन्दर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने निर्देश दिया कि अधूरे कार्यो को तय समय में पूरा कराकर विकास किया जाए तथा नगर का सौन्दर्यीकरण कराया जाए। इसके अलावा बाजार क्षेत्र में पेयजल, साफ-सफाई एवं शौचालय आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।